

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा, जिला भीलवाड़ा

-:मूल वाद में अन्तिम डिक्री:-

(आदेश 20 व नियम 06 एवं 07 जा. दी.)

न्यायालय अधिकारी श्री रामचन्द्र मीना आर ए एस

संख्या 115/2010 राजस्व वाद

राजस्थान अधिनियम 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अनवान

1 श्री कलावती पति अनिलकुमार अग्रवाल (मोगरिया) नि0 बनेडा तह0

बनेडा जिला भीलवाड़ा

2 श्री रामचन्द्र पिता श्रीराम तेली निवासी दुदला तहसील बनेडा जिला

भीलवाड़ा


.....वादीगण

बनाम

1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा

..... प्रतिवादी

वादीगण की ओर से वादीगण स्वयं तथा प्रतिवादीगण की ओर परोकार सरकार उपस्थित। वादीगण का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण वाके ग्राम बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी संख्या 5130 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर नियमानुसार सीमाज्ञान कराने एवं अपनी खातेदारी आराजियात में मेडबंदी करने के लिए स्वतंत्र है। वादीगण सरकारी भूमि या रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे तथा रास्ते में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।


(रामचन्द्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा

जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.11.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।


(रामचन्द्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा

जिला भीलवाड़ा

बनेडा (भीलवाड़ा)